

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. मप्रविनिआ-सचिवालय-87-2024-1596.- मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्र. 1547-मप्रविनिआ-2024, दिनांक 27 जून 2024 (प्रकाशन तिथि 28 जून 2024) के अंग्रेजी संस्करण में "DRAFT SCHEDULE-1 OF FEE AND FINE; REVISION II (2024)" के स्थान पर "SCHEDULE-1 OF FEES, FINES AND CHARGES; REVISION II (2024)" पढ़ा जाये.

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. मप्रविनिआ-संचा.(टैरिफ)-2024-1614.- मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्र. 1508-मप्रविनिआ-2024, दिनांक 20 जून 2024 (प्रकाशन तिथि 28 जून 2024) के हिन्दी संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर "भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2024" के स्थान पर "भोपाल, दिनांक 20 जून 2024" पढ़ा जाये.

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.